न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 03 / 2024
निर्णय दिनांक : 15.03.2024
GCMS NO : 2024/5

शिवपाल पुत्र रामूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खारिया कनीराम तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

.................प्रतिवादी

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 व 92
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. वादी अधिवक्ता कैलाश गुलेरिया उपस्थित
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादी के खातेदारी, कब्जा, काश्त, उपयोग–उपभोग के खेत खसरा संख्या 1050 रकबा 0.2024 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1055 रकबा 0.5361 हैक्टेयर वाके रोही खारिया कनीराम तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत खेतों के नाम से सम्बोधित किया है।

यह कि वादी का वास्तवित नाम शिवपाल है वादी के परिवार वाले बोलते नाम श्योपाल से भी पुकारते हैं। वादी को श्योपाल एवं शिवपाल दोनों नाम से जाना पहचाना जाता है। जो ग्राम पंचायत खारिया कनिराम द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र दिनांक 23.12.2023 से भी साबित है। वादी का नाम भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, निर्वाचन आयेाग द्वारा जारी पहचान पत्र, बैंक पास बुक, भामाशाह कार्ड तथा राशन कार्ड आदि में भी वादी का नाम शिवपाल ही दर्ज है।

वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने के कारण वादी को नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाना आवश्यक हो गया है जिसके लिए वह कानूनी अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.17 17:04:23 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत में वादी का नाम वादगत भूमि में श्योपाल पुत्र रामूराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजों में नाम शिवपाल पुत्र रामूराम दर्ज है। श्योपाल व शिवपाल दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में शिवपाल पुत्र रामूराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज पहचान पत्र ग्राम पंचायत खारिया कनिराम, भामाशाह कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, बैंक पास बुक की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, बीपीएल कार्ड की प्रति आदि में भी नाम शिवपाल पुत्र रामूराम ही है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, प्रमाण–पत्र सरपंच ग्राम पंचायत खारिया कनिराम, पंचायत समिति सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 1050/367 रकबा 0.2024 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1055/381 रकवा 0.5361 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम खारिया कनीराम में दर्ज श्योपाल पुत्र रामूराम जाति मेघवाल निवासी खारियाकनिराम खातेदार के स्थान पर शिवपाल पुत्र रामूराम जाति मेघवाल निवासी खारियाकनिराम खातेदार दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया।

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ जिला–चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.17 17:04:23 IST
Reason: SelfAttested